

**Title:** Discussion on the resolution regarding need to constitute the Board for all-around development of hilly states and hilly regions of the country, especially in the Himalayan Belt, so as to bring them at par with developed regions in the plains of the country.

1703 hours

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the Resolution on development of hilly regions by Shri Maheshwar Singh. Before we take up the Resolution for discussion, we have to allot time for it. Shall we allot two hours time for the Resolution?

SEVERAL MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, two hours time is allotted for this Resolution. Shri Maheshwar Singh may move his Resolution.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न शब्दों में निजी संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

‘कि इस सभा का मत है कि देश के पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बोर्ड गठित किया जाये ताकि उन्हें देश के विकसित मैदानी क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके।’

देश को स्वतंत्र हुए ५२ वर्षों से भी अधिक बीत गये, लेकिन खेद का विषय है कि आज भी पहाड़ों और कन्दराओं में बसे हुए लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए जूझ रहे हैं। जब इन हिमालय की गोद में बसे हुए कुछ रमणीय स्थानों पर पर्यटक बन्धु जाते हैं या देश के विशिष्ट व्यक्ति जाते हैं तो वे आकर हमसे कहते हैं कि सचमुच पहाड़ों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, लेकिन सत्यता बिल्कुल इससे भिन्न है। अगर सत्यता को देखना हो तो इन पहाड़ों के जो अन्दर के क्षेत्र हैं, जहाँ के लोग पहाड़ों और कन्दराओं में बसे हुए हैं, आज भी वे विकास की दृष्टि से पिछड़े जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रान्तीय सरकारें अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इन प्रदेशों में विकास के लिए प्रयासरत हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्षों से प्रयासरत है और वर्तमान सरकार भी अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक ध्यान इस पहाड़ी प्रान्त की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ दे रही है।

इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो पहाड़ी प्रांतों से आने वाले सांसद हैं, वे समय-समय पर इस माननीय सदन में पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास के बारे में अपनी समस्याएँ उठाते रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या इतनी कम है कि इस माननीय सदन में हमारी आवाज गूँजकर रह जाती है। इस समय पहाड़ी प्रांतों से आने वाले सांसदों की संख्या, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वह लगभग २९ है, वेस्टर्न घाट वाले तालुका इसके अतिरिक्त है।

यह भी सत्य है कि भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक योजनाएँ बनाई हैं। जैसे हिल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्टर्न घाट डवलपमेंट प्रोग्राम, नार्थ-ईस्ट कॉसिल, बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम और डाउट एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम। १९८३ या ८४ में नेशनल डवलपमेंट कॉसिल में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि नेशनल हिमालयन डवलपमेंट पालिसी बनाई जाए। तत्कालीन योजना बोर्ड के सदस्य डा. एस.जेड. कासिम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने सिफारिश की कि नार्थ वेस्टर्न हिमालयन कॉसिल बनाई जाए। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मैं इस मत का हूँ कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हिमालयन डवलपमेंट बोर्ड का गठन नहीं किया जाता, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चाहे निचले स्तर पर अनेक बोर्ड गठित कर दें, चाहे विकास समितियाँ बना दें, लेकिन केन्द्रीय स्तर पर इनकी समीक्षा करना नितांत आवश्यक है।

यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के हृदय में हिमालय के लिए विशेष प्रेम है। इससे पहाड़ों में बसने वाले लोगों में एक आशा की किरण जगी है कि आने वाले समय में उनकी समस्याओं का अवश्य समाधान होगा।

देश के पहाड़ी क्षेत्र दो कटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो जो पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आते हैं, यहाँ से लोक सभा के कुल मिलाकर २१ सांसद चुने जाते हैं। ये स्पेशल कटेगरी स्टेट्स कहलाती हैं। इनको ९० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में राशि दी जाती है और शेष १० प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। जबकि अन्य प्रांतों को ३० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है और ७० प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। कुछ समय पूर्व तक जो भी इन प्रांतों का नॉनप्लांड एक्सपेंडिचर होता था, वह केन्द्रीय सरकार सहन करती थी, उसे राइट आफ कर दिया जाता था। लेकिन नॉवे विल्ट आयो ग के बैठने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्रों को सुविधा मिलती थी, वह विदग्ध कर ली गई। फलस्वरूप ये प्रांत आर्थिक संकट के घेरे में हैं, क्योंकि इनकी आय के साधन सीमित हैं। इनकी जितनी आय है, वह वहाँ के कर्मचारियों के वेतन देने में ही चली जाती है और विकास कार्यों में कुछ नहीं बच पाता।

दूसरी कटेगरी में वे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनको हिल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया है,

महेश्वर जारी जिसमें उत्तर प्रदेश के नौ जिले आते हैं और जहाँ से चार सांसद चुनकर आते हैं। असम के दो जिले और दो सांसद चुनकर आते हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है और तमिलनाडु में नीलगिरी जिला आता है। जहाँ से एक-एक सांसद चुनकर आते हैं। इसके अतिरिक्त, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, वेस्टर्न घाट में १५९ तालुक आते हैं।

जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है, प्रकृति के अलावा कुछ समस्याएँ और बाधाएँ हमें विरासत में मिली हैं, जिसके फलस्वरूप हम सात कारणों से विकास के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों से पिछड़े जा रहे हैं। अन्य कारणों के साथ-साथ कभी-कभी अस्तित्वित विकास भी उग्रवाद का जन्म देता है। स्वभाव से पहाड़ों में रहने वाले लोग शान्तिप्रिय होते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि जहाँ-जहाँ भी उग्रवाद पैदा हुआ है, जहाँ-जहाँ भी लोगों ने एजिटेशन किए हैं, उन प्रांतों के लिए समय-समय पर पैकेज मिलते रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इन पहाड़ी प्रांतों के बारे में माननीय सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचे। मैं पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित सात बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

प्रथम बिन्दु - हमारी कठिन भौगोलिक स्थिति एवं प्रतिकूल मौसम पहाड़ों में कहीं नाले गहरे हैं। चाहे ऊँची पहाड़ियाँ हो या ऊँची चट्टानें, इन स्थानों पर विकास का कार्य करना सरल नहीं है। उदाहरण के लिए, एक कच्ची सड़क निकालनी हो तो कम से कम तीन लाख रुपये प्रति किलोमीटर खर्चा आ जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अगर सड़क का निर्माण करना हो, तो तीन लाख रुपये में कम से कम ५-६ किलोमीटर सड़क बन सकती है। जहाँ तक मौसम का संबंध है, पहाड़ों में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जो सर्दी के मौसम में बाकी भागों से कट जाते हैं। आने-जाने का कोई साधन नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल

प्रदेश के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में बर्फ पड़ने या हिमखण्ड के टूटने से लगभग छः-सात माह तक सम्पर्क कट जाता है। ऐसी स्थिति में प्रान्त की सरकार को हेलीकाप्टर द्वारा सर्विस शुरू करके वहाँ के लोगों के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी पड़ती है।

जहाँ तक सम्पर्क सड़कों का संबंध है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के लिए सड़कें तो बनाई गई हैं, लेकिन उनको पक्का करने की समस्या है। हमारे पास आर्थिक साधन सीमित हैं। यह सत्यता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग जब सुबह नहा कर काम पर जाते हैं और शाम को वापिस लौटते हैं, तो उनके सिर पर इतनी धूल पड़ी होती है कि जब तक वे अपना मुँह न धो लें, तब तक उनकी धर्मपत्नी भी उनको पहचान नहीं पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है, सड़कों के निर्माण के लिए अगर राशि आबादी के आधार पर दी जाती रही और भौगोलिक स्थिति को नहीं देखा गया, तो पहाड़ी प्रान्त पिछड़े चले जायेंगे।

दूसरा बिन्दु - पहाड़ों का विस्तृत क्षेत्रफल एवं कम जनसंख्या। पहाड़ी राज्यों का कुल क्षेत्रफल ४०६१.७४ स्क्वेयर किलोमीटर है और जनसंख्या दो करोड़ से भी कम बैठती है। उत्तर प्रदेश के नौ पहाड़ी जिले हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो इनका क्षेत्रफल भी लगभग ५२ हजार स्क्वेयर किलोमीटर बैठता है और जनसंख्या केवल ६० लाख है। पोपुलेशन डेंसिटी कहीं-कहीं तो ४०-५०-६० पर-स्क्वेयर किलोमीटर बैठती है।

महेश्वर सिंह जारी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल २३,६५५ स्क्वेयर किलोमीटर है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह लाना चाहूँगा कि

पापुलेशन की जो डेंसिटी पर-स्कवेयर किलोमीटर है, उसमें २० और २५ लोग हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ५५,००० स्कवेयर किलोमीटर बैठता है। मैं इस क्षेत्र की जानकारी देना चाहता हूँ, ३२,००० स्कवेयर किलोमीटर का मैं प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूँ। इस ३२,००० स्कवेयर किलोमीटर में से २३,६५५ स्कवेयर किलोमीटर तीन जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं। जिसमें पहले लाहोल-स्फ़ीति, किन्नोर और भरमौर आते हैं। इन क्षेत्रों में पापुलेशन की डेंसिटी १५ और ३० से अधिक नहीं बैठती है।

महोदय, मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि आय के सीमित साधन हैं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि शांता कुमार जी यहाँ विराजमान हैं, जो कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं और लम्बे असें तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। जहाँ तक पहाड़ी प्रांतों का सवाल है, मैं विशेषकर हिमाचल प्रदेश की बात करूँगा। हमें प्रकृति ने बड़ी उदारता से सब कुछ दिया है। मुझे याद है कि शांता कुमार जी कहा करते थे कि हमें ऐसा पानी दिया है, जो बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। ऐसा पत्थर दिया है, जिससे हम सीमेंट बना सकते हैं। हमें प्राकृतिक सौन्दर्य ऐसा दिया है जिससे न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन आय के सीमित साधन होने से यह एक ऐसा प्रदेश है जो प्रकृति की दृष्टि से अमीर है लेकिन वहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं। अगर हमें उदारता से केंद्र से सहायता मिले तो यह पहाड़ी प्रांत, विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसा प्रांत आत्मनिर्भर बन सकता है।

महोदय, जहाँ तक विद्युत उत्पादन का संबंध है, आज अकेला हिमाचल प्रदेश २२,२०० मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है लेकिन सीमित साधन होने के कारण अब तक केवल ८०० मेगावाट बिजली का दोहन हो सका है। अभी जो निर्माणाधीन योजनाएँ हैं उससे २२०० मेगावाट और बिजली पैदा हो जाएगी, लेकिन शेष १९,२०० मेगावाट के लिए पैसे की जरूरत है। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूँगा, जो प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चल रही है। हिमाचल प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम पार्वती जल विद्युत परियोजना है और उसका निर्माण एनएचपीसी करने जा रही है, जो २०५१ मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखती है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, इसका प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा १२ दिसम्बर को विधिवत रूप से शिलान्यास हो जाएगा। जहाँ तक पत्थर का संबंध है, जैसे मैंने कहा कि हमें ऐसा पत्थर दिया है, जिससे सीमेंट बन सकता है। लेकिन जब सीमेंट के कारखाने की बात करते हैं तो पर्यावरण की बात आ जाती है। इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा, यह सही है कि अगर इन पहाड़ों में जंगल कटेंगे तो न केवल पहाड़ी प्रांतों का नुकसान होगा बल्कि जो नीचे के मैदानी क्षेत्र हैं उन्हें भी क्षति का सामना करना पड़ेगा। जहाँ इन जंगलों को बचाने का हमारा दायित्व है वहाँ केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि ऐसे प्रांतों की अधिक से अधिक रक्षा की जाए। उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। वन सम्पदा हमारे लिए आय का एक साधन था, लेकिन १९८० में, जब से फॉरेस्ट लैंड कंजरवेशन एक्ट आया है उसने कहीं-कहीं हमारे लिए अनेक समस्याएँ पैदा कर दीं, चाहे हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य या अन्य कोई पहाड़ी प्रांत हो। वन लगभग तीन ५ फीसद के होते हैं।

एक डिमार्केटेड जंगल है, दूसरा रिजर्व जंगल है और तीसरा थर्ड-क्लास जंगल है। लेकिन ब्रिटिश काल में जब फॉरेस्ट सैटलमेंट हुआ तो उन्होंने एक और श्रेणी बनाई जिसे तृतीय श्रेणी वन भूमि कहा गया। इसका अर्थ है कि वहाँ वन तो नहीं हैं लेकिन वह वन-योग्य भूमि है। इसी से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गयी। अगर स्कूल के लिए भवन का निर्माण करना हो, छोटे-छोटे विकास कार्य करने हों तो कहीं भी आपके लिए भूमि नहीं है। कारण यह है कि जो भी भूमि खाली पड़ी हुई है वह तृतीय वन भूमि है चाहे उसमें एक भी वृक्ष न हो। जब भी ट्रांसफर के लिए हम कोई कंस भेजते हैं तो एक ही आपत्ति लगती है कि कितने पेड़ लगे हुए हैं। जब उनको बताया जाता है कि एक भी पेड़ नहीं है तो कहा जाता है कि वन-भूमि है तो पेड़ तो होंगे ही। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इन भूमियों की रि-आईडेंटिफिकेशन करने की आवश्यकता है।

कुछ गांव हैं जो जंगलों से घिरे हुए हैं। अगर इन गांवों के इर्द-गिर्द जंगल हैं तो उनका श्रेय भी वहाँ बसे लोगों को ही जाता है। कोई भी जंगल लोगों के सहयोग के बिना तैयार नहीं होता है। जब गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं तो वे कह उठते हैं कि क्यों हमने ये जंगल पाले। इनके कारण हमें मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं। इसलिए जंगलों के साथ बसे हुए लोगों के लिए भी आप सड़के बनाएं। अगर लोक निर्माण विभाग से नहीं बनवानी हैं तो केंद्र सरकार इसके लिए कोई नियम बनाए ताकि वन विभाग के माध्यम से कम से कम उन्हें सम्पर्क सड़के तो मिलें।

आज जंगलों में जानवरों की बढ़ती संख्या भी इन पहाड़ी प्रांतों में माताओं और बहनों के लिए एक समस्या बन गयी है। यह सारे देश की समस्या है लेकिन पहाड़ी प्रांतों में यह और भी विकट समस्या है। इसलिए इस तरफ भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : इसके लिए दो घंटे निर्धारित हैं और आपको बोलते २० मिनट से ज्यादा समय हो गया है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन सभी माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें, इसलिए आप शीघ्र समाप्त करें। साढ़े पांच बजे हमें दूसरा विषय लेना है।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति जी, मैं तीसरे बिंदु पर हूँ। चार-पांच मिनट में मैं समाप्त कर दूँगा। तीसरी बात मैं पर्यटकों के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ यातायात का साधन प्रायः भूतल परिवहन है। रेल तो नाम मात्र को है। यह भी एक सत्यता है कि रेलों की दृष्टि से अगर हमें कुछ मिला है तो ब्रिटिश टाइम का मिला हुआ है। चाहे हम कालका-शिमला लाइन की बात हो या पठान कोट से जोगिन्द्र नगर रेलवे लाइन की बात हो। सन १९२४ में कभी जोगिन्द्र नगर लाइन को कुलू तक, झुबू पास के नीचे टनल बनाकर ले जाने का सर्वेक्षण हुआ था। आज जो टॉय ट्रेन दार्जीलिंग में चलती है उसकी हालत यह है कि ट्रेन की बोगियों के खराब होने की वजह से संख्या घटती जा रही है। जो भी बोगी खराब हुई, उसको उठाकर फेंकने का, यह सिलसिला चल रहा है। पहले सिकिम् में गल खोला तक रेल जाती थी। अब केवल सिलीगुड़ी तक रेल जाती है। कोई भी बोगी नयी नहीं बन रही है और ४६ किलोमीटर का रेलवे ट्रैक भी समाप्त हो गया है।

हिमाचल में आमाम परिवर्तन की बात कई बार हम उठा चुके हैं और कई बार माननीय मंत्रियों ने वायदे किए हैं और कहा है कि गेज परिवर्तन हो जाएगा। माननीय शांता कुमार जी के प्रयासों से एक काँगड़ा क्वीन चली है। अब कहते हैं कि उससे आय नहीं होती है इसलिए वह वायबल नहीं है। जब वह गाड़ी फर्सट-क्लास के यात्रियों के लिए होगी तो आय तो कम होगी ही। इसलिए इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

जहाँ तक एयर-सर्विसेज का सवाल है, आज तीन हवाई-पट्टियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं लेकिन तीनों की स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक नियमित रूप से फ्लाइट्स नहीं चलेगी, तब तक नियमित रूप से पर्यटक नहीं आयेंगे। साथ ही वह सेवा इतनी महंगी है कि नेपाल जाना सस्ता है लेकिन हिमाचल जाना आज महंगा है।

जब तक सविन्डाइज्ड रेट नहीं होंगे तब तक पर्यटक इन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। इसलिए इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहाँ तक चौथे बिन्दु का सवाल है, वह है मुख्य व्यापारिक केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की अत्यधिक दूरी होने के कारण न्यून आर्थिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र विकास में बाधा क्षेत्र के विकास में बाधा आती है। मंडियाँ इतनी दूर हैं कि उपज को बेचने में दिक्कत आती है। जब तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी, हम अपने उत्पादन को सही तरीके से मार्केट तक नहीं पहुँचा सकेंगे। कलिंग चैन की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है तभी इन पहाड़ों की उपज चाहे वह फ्लोरोकैल्चर है, या अन्य चीजें हैं, पेरिशेबल गुड्स हम मार्केट तक ला सकेंगे।

पांचवा प्वाइंट सामान्य आधारभूत ढांचे में पिछड़ापन एवं सीमित सामाजिक विकास है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य सुविधा हो या दूसरी कोई सुविधा हो, दुर्गम स्थानों पर कोई कर्मचारी जाने को तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को भेजने की होती है। फासलें इतने दूर हैं, स्कूल इतने दूर हैं कि कहने को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। कहीं स्कूल भवन नहीं हैं। उदारता से अधिक से अधिक धन नहीं दिया जाएगा तो पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या बनी रहेगी।

छठा बिन्दु महंगा प्रशासन एवं महंगा विकास और कई स्थानों पर बार्डर एशिया के कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय का है। हमारा बॉर्डर एरिया होने के कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय होता है। हिमाचल प्रदेश के जिन जनजातीय क्षेत्रों की मैंने बात कही, वहाँ एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। हाल ही में कारगिल जाने के लिए लडाख का जो रास्ता था, सबसे शार्टेस्ट रूट लाहौल होकर जाता है लेकिन वहाँ रोहतांगपास सबसे बड़ी बाधा है। उसके नीचे टनल बनना चाहिए। बहुत पहले एक सर्वेक्षण हुआ था लेकिन आज तक उसके लिए पैसा नहीं मिला रहा है। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। ५०० करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर ५०० करोड़ रुपये में यह टनल बन जाता है, तो ४६ किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत यह कहा जाता है कि ये क्षेत्र उस मापदंड में ही नहीं आते जबकि हमारा बॉर्डर सीधा इन क्षेत्रों के साथ लगा है।

मेरा आखिरी बिन्दु विकास की धीमी गति और केंद्रीय प्रायोजित अधिकांश योजना में जनसंख्या आधार है। यहाँ से जो भी योजना जाती है, उसके लिए कहा जाता है कि

उसे जनसंख्या के आधार पर देगे। उदाहरण के लिए जे.आर.वाई. योजना है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि विकास कार्यों के लिए पर-पंचायत राजस्थान को १ लाख रुपए दिए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को १०-१५ हजार रुपए पर-पंचायत मिलते हैं। हम जब कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि जनसंख्या कम है। हम सोचते हैं कि ऐसे में ज्यादा उत्पादन और पैदावार करनी पड़ेगी। यह कौन सा मापदंड है? इसका जनसंख्या आधार नहीं होना चाहिए बल्कि भौगोलिक स्थिति आधार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर स्वागत करेंगे ताकि मैदानी क्षेत्रों की भांति पहाड़ी क्षेत्र भी विकास में आगे बढ़ सकें। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

"श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, महेश्वर सिंह जी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए बोर्ड गठित करने का जो संकल्प लाया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देश के अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र सीमाओं से लगे हैं। आजादी के पचास वर्षों के बाद इन क्षेत्रों का जितना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक विकास और चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र मैदानी भागों की तुलना में काफी पिछड़े हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत विकसित सम्भावनाएं होती हैं लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। पिछले दिनों इन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों का अवैध और अव्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया। इसके साथ-साथ झूठों को काटा जाना भी एक कारण बना। इन पर्वतीय क्षेत्रों में विगत दिनों यह देखने में आया कि भूकम्पों की एक श्रृंखला चल पड़ी।

">

"> इस कारण इन क्षेत्रों में रहने वालों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके साथ साथ हमारा यह क्षेत्र विदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। परराष्ट्र में निष्ठा रखने वाले विदेशों से अवैध रूप से प्रवेश करके आतंकवादी गतिविधियों से इन क्षेत्रों में अशान्ति और अराजकता फैलाते हैं.....

">

"सभापति महोदय : वीरेन्द्र कुमार जी, आप अपना भाषण फिर जारी रखेंगे क्योंकि अब ५.३० बज रहे हैं और हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे।

">

&